

fssai

भारतीय खाद्य सुरक्षा और
मानक प्राधिकरण

विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार



मान्यता सं / Recognition Number
FSSAI/TPA/2021-22/040.....

मान्यता प्रमाण-पत्र Certificate of Recognition

(विनियम 5 देखें)
(See regulation 5)

प्रमाणित किया जाता है कि
This is to certify that

M/s. Eurofins Assurance India Pvt. Ltd., Haryana

को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त खाद्य कारोबारियों की संपरीक्षण के लिए स्वीकृति दी गई है और यह खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 अधीन है, जिनका विशेषज्ञता क्षेत्र निम्न है:

has been recognised by the Food Safety and Standards Authority of India for the purpose of auditing of food business operators licensed under Food Safety and Standards Act, 2006 and subject to the Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018 with the following scope:

1. Food Processing: (i) Dairy (ii) Slaughter Houses (iii) Meat & Poultry processing Units (iv) Egg & Egg Products (v) Fish & Fish products (vi) other sectors (Bakery, Edible oil, Fruit & vegetable Processing, Ready to Eat/cook etc. 2. Food Storage/Warehouse/cold storage 3. Food Transportation 4. Food Retail and Distribution/Supplier 5. Food Catering

यह प्रमाणपत्र दिनांक This certificate is issued / renewed onको जारी/नवीनीकृत किया गया है, जो दिनांक and is valid upto 24.02.2025* तक विधिमान्य होगा

* Subject to continuation of NABCB Accreditation.

राकेश कुमार / RAKESH KUMAR
निदेशक / Director
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
(Ministry of Health & Family Welfare)
भारत सरकार / Government of India
एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
New Delhi-110002

टिप्पण- इस प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाये। इस प्रमाणपत्र का जान बूझ कर दुरुपयोग करने पर इसे बिना कबि मुह्र हटाने के रद्द कर दिया जाएगा।
Note: This certificate must not be altered in any way. Intentional misuse of this certificate will result in cancellation without prior intimation.